



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 14, 2017/फाल्गुन 23, 1938

No. 186]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 14, 2017/PHALGUNA 23, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2017

सा.का.नि. 241(अ).—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 271(अ), दिनांक 2 मार्च 2016 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या छोड़ी गयी वस्तुओं के सिवाए, केंद्र सरकार एतद्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- | | | |
|--|---|----------|
| (1) माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन संघी | - | -अध्यक्ष |
| (2) माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव सहाय एंडला | | -सदस्य |
| (3) माननीय न्यायमूर्ति सुश्री प्रतिभा रानी | - | -सदस्य |

2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2017 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 674/01/2005-कस्टम-VIII]

दिनेश पचनन्दा, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : दिनांक 2 मार्च, 2016 की अधिसूचना सा.का.नि. 271(अ), भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड-(i) में दिनांक 2 मार्च 2016 को प्रकाशित हुई थी।